पत्रांकः 427/33–पी0एम0यू0–2013–337/2008

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष,
पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0, उ0प्र0।

सेवा म,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत/नोडल अधिकारी
बी0आर0जी0एफ0 जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, कासगंज एवं उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0) लखनऊः दिनांक 04 मार्च, 2013

विषय– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में विकास अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का 0.25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि अनुश्रवण एवं मूल्याकंन हेतु किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अनुश्रवण एवं मूल्याकंन के बिन्दु के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

"प्रत्येक वर्ष विकास अनुदान के अंतर्गत एक जनपद को प्राप्त होने वाली धनराशि का 0.25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि संबंधित जनपद की जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा तथा 0.25 प्रतिशत धनराशि प्रदेश स्तर पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 द्वारा योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये वित्तीय नियमों के अधीन व्यय की जा सकेगी।"

2. उक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना में विकास अनुदान मद के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक जनपद को प्राप्त होंने वाली धनराशि का 0.25 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रशासनिक मद के रूप में योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन के लिए वित्तीय नियमों के अधीन व्यय की जा सकेगी। जिला स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद को प्राप्त होंने वाली धनराशि की 0.25 प्रतिशत धनराशि प्रदेश स्तर पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन के लिए व्यय की जाएगी।

3. प्रशासनिक मद के रूप में जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का व्यय मुख्य रूप से बी0आर0जी0एफ0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त कर्मियों की सेवाओं के लिए मानदेय का भुगतान, अन्य सपोर्ट सर्विसेज, वाहन किराया, पी0ओ0एल0 चार्जेज, स्टेशनरी, योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सन्निहित गतिविधियों आदि पर वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा। किन्तु वाहन क्रय, भूमि एवं भवन क्रय, कार्यालय भवन एवं गेस्ट हाउस निर्माण, राजनैतिक दल एवं धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित गतिविधियों, उपहारों एवं चन्दा, सेलफोन क्रय तथा ऐसे अन्य आइटम, जो भविष्य में लायबिलिटी बने आदि पर व्यय प्रतिबन्धित रहेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए, वर्ष 2012–13 में विकास अनुदान मद के अन्तर्गत अपने जनपद को प्राप्त धनराशि की 0.25 प्रतिशत धनराशि परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0, लखनऊ के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव/ अध्यक्ष
पी0एम0यू0,
बी0आर0जी0एफ0।

संख्याः 4271 /33–पी0एम0यू0–2013–337/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक पंचायतीराज (लेखा)/कोषाध्यक्ष, पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, बी0आर0जी0एफ0, जनपद, उ0प्र0।
4. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), बी0आर0जी0एफ0 मण्डल, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद, उ0प्र0।
9. पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

उप परियोजना निदेशक।

(राकेश चतुर्वेदी)
उप परियोजना निदेशक